कर्ण दलाल के आतंकवाद का शिकार बना एक परिवार

आपराधिक न्याय व्यवस्था का दुरूपयोग बना हथियार

फ़रीदाबाद (म.मो.) जेल में मिले पलवल के किठवाड़ी गांव निवासी दिगम्बर पुत्र श्री सुमेर सिंह, उनका भाई अजीत सिंह व अन्य परिजन पूर्व मन्त्री एवं मौजूदा कांग्रेसी विधायक कर्ण दलाल के आतंक का शिकार केवल इसलिये बने हुए हैं कि वे न तो उनकी साजिशों में शामिल होते हैं और न ही उन्हें वोट देते हैं, बल्कि विरोधी उम्मीदवार के समर्थन में रहते हैं।

पुलिस में अपने राजनीतिक प्रभाव एवं दबंगई के चलते कर्ण के इशारे पर दिगम्बर के विरुद्ध बलात्कार का व अजीत के विरुद्ध हत्या का झूठा केस दर्ज करा दिया। दिगम्बर व अजीत के विरुद्ध धारा 376 के अन्तर्गत एफ़आईआर नं. 300/16 थाना चांदहट में तथा अजीत के विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत एफ़आईआर नं. 636/16थाना कैम्प में दर्ज कराई गयी। इन दोनों झूठे मुकदमों के चलते दोनों भाई दिनांक 18.3.17 से नीमका जेल में बन्द हैं। न्यायालयों में, कर्ण की दबंगई के चलते सुनवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति चल रही है।

अचरज की बात है कि दिगम्बर के विरुद्ध रेप का केस दर्ज कराने वाली और कोई नहीं बल्कि वही दलित 20 वर्षीय लड़की है जिसे दिनांक 18.03.16 को दिगम्बर ने बलात्कारियों के चंगुल से मुक्त कराया था। उस दिन दिगम्बर अपने खेत को जा रहा था कि एक ट्यूब वैल के कोठरे के अन्दर से चिल्लाने की आवाज सुनकर उसने बाहर से बन्द दरवाजे को खोला तो उस लड़की ने बताया कि रणबीर, अमर सिंह व डाली ब्लात्कारी 3 दिन से उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह किसी तरह एक बार उसे थाने तक पहुंचा दे। दिगम्बर ने कर्ण के इन गुंडों के विरुद्ध पीड़िता की मदद करते हुए उसे थाने तक पहुंचा दिया। महिला थाने में पीड़िता की ओर से धारा 376 के तहत दिनांक 18.3.16 को एफ़आईआर नम्बर 0031 दर्ज करने से पूर्व इलाके के डीएसपी मौजी राम व एसपी राजेश दुग्गल ने लड़की के बयान लिये; इतना ही नहीं पुलिस द्वारा मैजिस्ट्रेट के सामने भी धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। सभी बयानों में पीड़िता ने असल बलात्कारियों के नाम तो बताये ही साथ में दिगम्बर को अपनी सहायता करने वाला भाई जैसा भी बताया।

अपने विरुद्ध दर्ज हुई इस एफ़आईआर से बौखलाये कर्ण के दबंगों ने पहले तो (दिनांक 20.3.16) दिगम्बर के भाई अजीत का अपहरण कर लिया जिस पर थाना चांदहट में एफ़आईआर नं. 0084 दर्ज कराई गयी। इसके बाद, पुलिस कार्यवाही से बेखौफ़ गुंडों ने दिगम्बर परिवार की स्विफ्ट कार को जला कर राख कर दिया। इस बाबत भी दिगम्बर परिवार ने दिनांक 06.4.16 को थाना चांदहट में एफ़आईआर नं. 0126 दर्ज कराई। उक्त दोनों वारदातों से पूर्व बलात्कारी गुंडों ने दिगम्बर को धमकी भी दी थी कि यदि वह बलात्कार मामले में अपनी गवाही से पीछे नहीं हटेगा तो परिणाम भयंकर होंगे। दिगम्बर के न मानने पर ही उक्त दोनों वारदातें हुईं। पुलिस ने उक्त दोनों वारदातों की एफ़आईआर तो दर्ज करी लेकिन ऐसी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जिससे कर्ण के गुंडों में कोई खौफ़ पैदा होता और वे अपराध करने से तौबा करते।

उक्त दोनों वारदातों से भी जब दिगम्बर नहीं झुका और अपराधी गुंडों का कुछ बिगड़ा नहीं तो इन गुंडों ने गांव के एक गरीब दलित बालक की हत्या करवा कर दोष अजीत के सिर मंढ दिया। इस झूठे केस के डर से जब दोनों भाई भूमिगत हो गये तो इसी गुंडा गिरोह ने उसी बलात्कार पीड़िता को खरीद लिया जिसकी सहायता दिगम्बर ने करी थी। अब की बार पीड़िता ने दिगम्बर व अजीत पर ही बलात्कार का आरोप लगा कर महिला थाने में एफ़आईआर नं. 300 दर्ज करा दी। इसी एफ़आईआर व हत्या की एफ़आईआर 636 पर दोनों भाई दिनांक 18.3.17 से नीमका जेल में बन्द हो कर आपराधिक न्याय व्यवस्था का जनाजा निकलता देख रहे हैं।

इन दबंगों की हिम्मत तो देखिये कि इनहोंने तत्कालीन एसपी राजेश दुग्गल को भी आरोपी बना लिया। दुग्गल का कसूर केवल इतना था कि उन्होंने रेप पीड़िता के बयानों की सही तसदीक पहले खुद की फ़िर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान कराये। जबकि पूर्व मन्त्री भी चाहते थे कि दुग्गल की पुलिस उनके इशारों पर नाचती हुई दिगम्बर आदि को ही लपेटे।

दुग्गल के विरुद्ध की गयी इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप उनके बाद आई महिला एसपी इतनी घबड़ा गयी कि वह कर्ण के इशारों पर दिगम्बर के विरुद्ध चलने में ही अपनी भलाई समझने लगी।

हिरासत के दौरान दिगम्बर पर हमला

विधायक महोदय के पालतू दबंग इतने बेखौफ़ हैं कि जेल से पेशी पर आये दिगम्बर पर अन्य 7-8 कैदियों से हमला करा दिया जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। दिनांक 19 अगस्त को जब दिगम्बर व उक्त कैदी नीमका जेल से पलवल की अदालत में पेश होने को आये थे और अदालती हवालात में बंद थे तो उक्त 7-8 कैदियों ने पहले तो उस पर गवाही से मुकरने का दबाव बनाया परन्तु जब वह नहीं माना तो उसे बुरी तरह से पीट दिया।

अच्छी तरह पिट चुकने के बाद कार्यवाही के नाम पर सुरक्षा गार्द पुलिस ने उसके बयान पर कैम्प थानें में हमलावरों के विरुद्ध मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की खाना-पूर्ति करा दी। यानी बेशक गुंडे रोज़ाना उसे पीटते रहें, पुलिस केवल मुकदमा दर्ज करती रहेंगी। मानो पिटने से बचाना पुलिस का दायित्व नहीं है।

ईएसआईसी सेक्टर 7 : जर्जर हो चुकी डिसपेंसरी को ठीक नहीं, बन्द कराना चाहते हैं डॉक्टर

फ़रीदाबाद (म.मो.) तीन एकड़ के भू-खंड पर करीब 700 वर्ग मीटर में बनी ईएसआईसी की यह डिसपेंसरी जरजर हालत में पहुंच चुकी है। वर्ष 1972-73 में ईएसआई कार्पोरेशन ने इसे बना कर हरियाणा सरकार के हवाले किया था। हरियाणा सरकार की विभागीय लापरवाही के चलते इसकी सालाना मुरम्मत व देखभाल भी कभी किसी ने नहीं करी जिसके चलते अब यहां कार्यरत 5 डॉक्टर शीघ्रातिशीघ्र, इसके गिर जाने से पूर्व इसको बन्द कराने की फ़िराक में हैं।

डिसपेंसरी के अलावा 3 एकड़ के इस प्लॉट में डॉक्टरों के लिये दो रिहायशी मकान भी बने हैं जिनमें डॉक्टर साहेबान रहते हैं इसलिये उनकी हालत ठीक-ठाक है जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लिये बने 8 मकान पूरी तरह से गैर आबाद खंडर बन चुके हैं। इसलिये इनकी हालत भी दयनीय हो चुकी है। लापरवाही एवं देखभाल के अभाव में इतना बड़ा प्लॉट एक जंगल का रूप ले चुका है। इसमें जंगली झाड़ियां व ऊंची-ऊंची घास खड़ी है।

इतने बड़े प्लाट एवं शहर के बीच इस डिसपेंसरी की स्थिति को देखते हुए ईएसआई मेडिकल कॉलेज एन एच 3 ने इसे अपना यू.एच.टी.सी. (अर्बन हैल्थ ट्रेनिंग सेंटर) घोषित कर दिया है। इसके लिये यहां एक इमारत अलग से बनेगी। नई इमारत अलग बनाने से पहले डिसपेंसरी की जरजर बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई गयी। इसके लिये स्पेशल बजट, करीब 60 लाख रूपये का आवंटन करने के इरादे से दिनांक 19 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के डीन व स्टेट मेडिकल कमिश्नर (एसएमसी) कुछ अन्य अधिकारियों के साथ मौका मुआयना करने पहुंचे।

वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों को यह नागवार गुजरा क्योंकि वे इस डिसपेंसरी को ठीक नहीं बल्कि बंद कराने में ही रूचि रखते हैं। खुद तो वे कुछ कर सकने की हिम्मत रखते नहीं थे लिहाज़ा उन्होंने ताज़ा-ताज़ा बने अपने प्रधान डॉ. अखिल महाजन को फ़ोन करके बुला लिया। डॉ महाजन, जिनकी तैनाती सेक्टर 8 के ईएसआई अस्पताल में है, तुरन्त हवा के घोड़े पर सवार होकर आये और अपने से कहीं अधिक वरिष्ठ अधिकारियों पर टूट पड़े । उन्होंने आते ही कार्पोरेशन अधिकारियों की टीम पर सवाल दर सवाल दागते हुए पूछा कि वे इस परिसर में घुसे कैसे? किसकी इजाजत से घुसे?? आदि-आदि।

कुछ छण डॉ. महाजन की बकवास सुनने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. असीम दास ने महाजन से पूछा कि आप हैं कौन... ? बस इतना सुनते ही तो महाजन आपे से बाहर हो गये। उन्हें यह सुनना गंवारा नहीं था कि कोई उन जैसे 'महान' व्यक्ति को न पहचाने क्योंकि ईएसआईसी डॉक्टरों के प्रधान बन चुकने के बाद वे अपने आप को नरेन्द्र मोदी के बराबर समझने लगे थे जिन्हें सभी पहचानते हैं। बौखलाये महाजन ने डीन सहित सारी टीम को परिसर से बाहर निकलने का फ़रमान सुना दिया। जवाब में डीन ने कहा कि यदि उन लोगों ने परिसर में अवैध प्रवेश किया है तो वह तुरन्त पुलिस को बुला ले; पता चल जायेगा कि कौन वैध है और कौन अवैध। इस पर अपना सा मुंह लेकर महाजन जी वहां से खिसक लिये।

दरअसल डॉ. महाजन के दिमाग में असली खलल सोनिया गांधी से बनी नज़दीकियों के चलते पैदा हुआ था। जिस बम ब्लास्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गये थे उसी ब्लास्ट में डॉ. महाजन की बहन के डीएसपी पति भी मारे गये थे, यानी महाजन की बहन व सोनिया गांधी एक साथ विधवा हो गयी थीं। इस नाते डॉ. महाजन की सोनिया गांधी से नजदीकी बढ़ती चली गयी। कांग्रेस राज में, इस नजदीकी का, महाजन ने खूब दोहन किया। राज्य की अफ़सरशाही पर खूब रौब गाठा, परन्तु राज्य की लचर ईएसआई सेवा के उद्धार की ओर कभी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। डॉ. महाजन ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि राज्य सरकार को ईएसआई सेवा के लिये जो बजट हज़ार करोड़ का बनाना चाहिये था वह मात्र सौ-सवा सौ करोड़ का ही क्यों बनाया जा रहा है जबकि कुल बजट का 88 प्रतिशत कार्पोरेशन को देना होता है।

खोजबीन करने पर यह भी पता चला कि डॉक्टर साहेबान इस डिसपेंसरी को ठीक कराने की बजाय बन्द इसलिये कराना चाहते हैं ताकि यह डिसपेंसरी सेक्टर 8 के ईएसआई अस्पताल में शिफ़्ट हो जाय। वहां शिफ़्ट हो जाने के बाद इन डॉक्टर साहेबान को मरीज़ देखने की बजाय केवल उन्हें रैफ़र करने भर का काम रह जायेगा, क्योंकि एक बार जब मरीज़ अस्पताल में आ ही गया तो वह डिस्पेंसरी के डॉक्टर की जगह अस्पताल के डॉक्टर को ही दिखाना बेहतर समझेगा।

3 एकड़ के इस प्लॉट को और बर्बाद करने की बजाय अब कार्पोरेशन ने तय कर लिया है कि शीघ्रातिशीघ्र इस डिसपेंसरी का पूर्ण जीर्णोद्धार करने के साथ-साथ यू.एच.टी.सी. की एक नई इमारत का निर्माण यहां कर दिया जाय।

रोहतक जेल में बाबा रहीम

फ़रीदाबाद (म.मो.) रोहतक जेल अधिकारियों द्वारा बाबा से सम्बन्धित जो खबरें प्रकाशित कराई जा रही हैं वे यकीन करने लायक नहीं हैं। हां जो कभी जेल में रहकर नहीं आये वे जरूर इन खबरों पर विश्वास कर सकते हैं।

कहा जा रहा है कि बाबा रोज 40 रुपये की दिहाड़ी पर घास काटने व मालीगिरी का काम कर रहा है। क्या किसी पत्रकार ने कभी जेल के भीतर जाकर इसकी पुष्टि की है? नहीं; जो कुछ जेल अधिकारी छपवा रहे हैं वही छापा जा रहा है। जेल में 40 रुपये की दिहाड़ी केवल उन अति प्रशिक्षित कैदियों को ही मिलती है जो खराद, ड्रिल, बोरिंग मशीन, वैल्डिंग आदि का काम करते हैं, या जो कपड़े सीने में माहिर हैं। इस तरह के कारीगर जेल में गिनती के 20-30 ही होते हैं जो बाहरी उद्योगपतियों द्वारा जेल में लगाई मशीनों पर काम करते हैं।

शेष कैदी 20 रुपये दिहाड़ी पर ही काम करते हैं। यह काम भी पूरी जेल में 50-60 कैदियों को ही मिल पाता है। पढे लिखे कैदियों को जेल में दफ़्तरों में मुंशी, स्कूल में पढाने व अस्पताल में डॉक्टर के सहायक का काम मिलता है। बाकी बचे लोग मालीगिरी, झाड़ू सफ़ाई, लंगर में लांगरी व बैरकों में निगरान का काम करते हैं। इस तरह के काम भी 100-150 लोगों को ही मिल पाता है। जब तक किसी कैदी से कोई विशेष खुंदक न हो, किसी को भी जबरन किसी काम पर नहीं लगाया जाता।

जेल सुधार कार्यक्रम व हाई कोर्ट के कड़े आदेश के बावजूद कैदियों को न तो कोई काम सिखाया जा रहा है न उन्हें बाहर आकर कुछ खाने कमाने लायक बनाया जा रहा है। इसके चलते 80 प्रतिशत कैदी बिल्कुल निठल्ले रहते हैं। वे काम सीखना व करना भी चाहते हैं परन्तु इसके कोई अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाते। लगभग हर जेल में जेल अधिकारियों का लक्ष्य अधिक से अधिक हित साधन का ही रहता है जिसके लिये वे कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं।

रही बात बाबा की तो सोने को बढिया बिस्तर व खाने को बढिया से बढिया भोजन की उसे कोई कमी नहीं हो सकती। ऐसा केवल उसके लिये नहीं बल्कि तमाम साधन संनपन्न कैदियों को भी यह उपलब्ध है।